राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (42) / ग्राविवि / ग्रुप–5 / पीएमएवाई / प्रगति समीक्षा / 2016–17 जयपुर दिनांक ? जून–2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र), उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, करौली, भीलवाडा, बांरा चित्तौडगढ, बाडमेर, पाली सिरोही, जालौर, बीकानेर, राजसमन्द, झालावाड, सवाईमाधोपुर, चूरू, जयपुर एवं जोधपुर।

विषय : इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अनुमत प्रदर्शन के लिए प्रोटोटाईपों का निर्माण और छोटे पैमाने के मॉडल तैयार कराने बाबत।
प्रसंग : विभागीय पत्र दिनांक 15.3.2016

उपरोक्त प्रासगिंक पत्र के माध्यम से पंचायत समिति स्तर पर इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रोटोटाईप मॉडल आवास निर्माण कर प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इंदिरा आवास योजना के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जून 2013 जारी किये गये है। योजनान्तर्गत 4 प्रतिशत राशि का प्रावधान प्रशासनिक मद मे किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुमत कार्यो का विवरण बिन्दु संख्या 3.6 मे किया गया है। बिन्दु संख्या 3.6 (III) मे "प्रदर्शन के लिए प्रोटोटाईपो का निर्माण और छोटे पैमाने के मॉडल तैयार कराना" अनुमत गतिविधि है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता मे आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक मे लाभार्थी को लागत भार के साथ स्थानीय रूप से उपयुक्त सामग्री एवं निर्माण प्रोद्धौगिकियों के सम्बन्ध मे विकल्प सूची उपलब्ध कराने के क्रम मे स्थानीय मौसम पैटर्न के लिए उपयुक्त स्थानीय सामग्री के उपयोग की पर्यावरण अनुकूल व सस्ती लागत की डिजाईनो के प्रोटोटाईप मॉडल प्रदर्शित करने पर जोर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देश के अध्याय 4 के बिन्दु संख्या 4.10 मे उल्लेखित है कि लाभार्थी को लागत भार के साथ स्थानीय रूप से उपयुक्त सामग्री एवं निर्माण प्रोदधौगिकियों के सम्बन्ध मे विकल्प सूची उपलब्ध कराई जायेगी, और विकल्प का चयन लाभार्थी पर छोडा जाना चाहिए। इस हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के अधिक उपयोग, मकान की उपयोगिता अवधि के दौरान ऊर्जा के कम उपयोग तथा स्थानीय मौसम पैटर्न के लिए उपयुक्त सामग्री एवं डिजाईनो का उपयोग किया जावे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा आईआईटी दिल्ली के माध्यम से आपके क्षैत्र के लिए सुझाये गये मॉडल–नक्शे के अतिरिक्त योजना के प्रावधानानुसार स्थानीय मौसम पैटर्न के लिए उपयुक्त स्थानीय सामग्री का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल व सस्ती लागत की डिजाईने तैयार कराने हेतु प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त तकनिकी महाविधालयो का सहयोग लिया जा सकता है।

अतः प्रासंगिक पत्र के निर्देशो के क्रम में योजनान्तर्गत उपयुक्त स्थानीय सामग्री का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल व सस्ती लागत की प्रोटोटाईप डिजाईनो के मॉडल पंचायत समिति स्तर पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करे।

(के.के. शर्मा)
अधिक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपी

1. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव,संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।

(के.के. शर्मा)
अधिक्षण अभियन्ता (ग्रावि)